**उत्तर प्रदेश शासन**
**पर्यटन अनुभाग**
**संख्या-565/2023/3845/001-41-2023-203-SA-2020**
**लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2023**

**संख्या-554/2023/860/41-2023/001-CN-1655312-203-SA-2022, दिनांक 12 अगस्त, 2023**

**का शुद्धि पत्र**

जनपद मिर्जापुर में मॉ विन्ध्यवासिनी मंदिर के सम्पर्क मार्ग का 40 फिट चौड़ीकरण के कार्य हेतु भूमि क्रय की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-554/2023/860/41-2023/001-**CN-1655312-203-SA-**202**2**, दिनांक 1**2** अगस्त, 2023 के पृष्ठांकन संख्या-5 में अंकित वरिष्ठ कोषाधिकारी, मीरजापुर के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 1**2** अगस्त, 2023 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव),
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिदेशक, पर्यटन को उनके पत्र संख्या-3416/6-1-1/(1272)/2021-22, दिनांक 16 अगस्त, 2023 के क्रम में।
4- आयुक्त मिर्जापुर मण्डल।
5- जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- उप निबन्धक, सम्बन्धित तहसील/जनपद।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।,
9- उप निदेशक (प्रशासन), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-8, 10, व 11 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
10- अधिशासी अभियन्ता, प्रा0खं0 लो0नि0वि0, मीरजापुर।
11- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मीरजापुर।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7। उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
13 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।